न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी –राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद खाता तकसीम

नम्बर मुकदमा – 363 / 2024 निर्णय दिनांक:– 07.08.2024

कुलदीप सिह शर्मा पुत्र सर्वजीत जाति ब्राहमण सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

–वादी

बनाम

1 कैलाशदेवी पत्नी चन्दराम जाति ब्राहमण सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 गुरविन्द्र कुमार पुत्र चन्दराम जाति ब्राहमण सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 राजकुमार पुत्र चन्दराम जाति ब्राहमण सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

4 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिह सिद्दू – अधिवक्ता वादी

श्री चरणजीत सिह सिद्दू – अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 3

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादी की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादी के नाम चक 20 ए.एम.पी. खाता स. 126 / 86 खाता कुलदीप सिह शर्मा वगैरा ज.स. 2070– 2073 में सांझा खाता में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है। दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादी ने प्रति स. 1 ता 3 के साथ अच्छी में से अच्छी तथा मंदी में से मंदी के मुताबिक दावा की दफा 3 के अनुसार घरू विभाजन कर रखा है।वादी दावा की दफा 3 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है।लेकिन उक्त आराजीसाझा खाता मे दर्ज होने [illegible] वादी के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिये वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे वादी का खाता दावा की दफा 3 के मुताबिक अलग कायम करवा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करवा रकम राज अलग कायम करवा लेवे लेकिन पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन अन्त मे पिछले सप्ताह वे वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये। यही विनाय दावा है।वादी का खाता दावा की दफा 3 के अनुसार अलग कायम किया

सहायक कलैक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verif
Digitally signed by Rake
Meena
Date: 2024.09.07 12:33
Reason: SelfAttested

जाकर रकमराज अलग अलग कायम की जावे तथा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया ।प्रति स.1 ता 3 की ओर से सहमति का जवाब दावा पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।प्रति स. 4 का जवाब स्टेट पेश हुआ । जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में वादी कुलदीप सिह शर्मा का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी.पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादी अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि चक 20 ए.एम.पी. खाता स. 126/86 खाता कुलदीप सिह शर्मा वगैरा ज.स. 2070– 2073 की आराजी सांझा खाता में दर्ज है। वादी का खाता दावा की दफा 3 के अनुसार अलग कायम किया जावे। अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 3 ने वादी के वाद का कोई विरोध नही किया। वादी के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 20 ए.एम.पी. खाता स. 126/86 खाता कुलदीप सिह शर्मा वगैरा ज.स. 2070– 2073 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादी के वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि चक 20 ए.एम.पी. खाता स. 126/86 खाता कुलदीप सिह शर्मा वगैरा ज. स. 2070– 2073 में दर्ज आराजी में वादी का खाता दावा की दफा 3 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग अलग कायम की जावे तथा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। दावा की दफा 3 निम्न प्रकार से हैः–

वादी कुलदीप सिह शर्मा पुत्र सर्वजीत का कब्जाः–

चक 20 ए.एम.पी. खाता स. 126/86

119/156 12 4/3/.013 5/4/151(नहरी पक्का) [illegible] 0.164 हे0

निज....X.... मुब्लिक....X.... बाबत....X.... [illegible] मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख [illegible] वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक [illegible]08.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:33:07 IST
Reason: SelfAttested

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)

डिकी एंव मुकदमे ईब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

कुलदीप सिह शर्मा पुत्र सर्वजीत जाति ब्राहमण सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

–वादी

बनाम

1 कैलाशदेवी पत्नी चन्दराम जाति ब्राहमण सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 गुरविन्द्र कुमार पुत्र चन्दराम जाति ब्राहमण सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 राजकुमार पुत्र चन्दराम जाति ब्राहमण सा. शाहपीनी तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

4 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिह सिद्दू – अधिवक्ता वादी

श्री चरणजीत सिह सिद्दू – अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 3

मु. स . 363 / 2024 दावा अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी वादी व प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि चक 20 ए.एम.पी. खाता स. 126 / 86 खाता कुलदीप सिह शर्मा वगैरा ज.स. 2070– 2073 में दर्ज आराजी में वादी का खाता दावा की दफा 3 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग अलग कायम की जावे तथा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। दावा की [illegible]

वादी कुलदीप सिह शर्मा पुत्र सर्वजीत का कब्जा:–

चक 20 ए.एम.पी. खाता स. 126 / 86

119 / 156 12 4 / 3 / .013 5 / 4 / .151 (उत्तरी [illegible])

निज....x.......... मुब्लिक.....x........ बाबत [illegible] खर्चा [illegible] के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....x..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 07-08-2024 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिकीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:33:07 IST
Reason: SelfAttested